न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 04/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/122
दायर दिनांक :- 06.01.2022 निर्णय दिनांक :- 04.08.2025

1. जतनकंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह पुत्री आसूसिंह जाति राजपूत निवासी आदर्श नगर फलोदी

–वादी

बनाम

1. मुबारकी पत्नी लुकमान पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अवाय हाल निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः– 1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस आशय से पेश किया है वादिनी की क्रयशुदा खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1118/1612 रकबा 25–00 बीघा सरहद मौजा बारू तहसील बाप में स्थित है। वादिनी की क्रयशुदा कब्जा काश्त की भूमि पर क्रय करने की दिनांक से ही वास्तविक व भौतिक कब्जा चला आ रहा है व पिछले तीन वर्षो से कृषि नलकूप संचालित होने के बाद से निरन्तर सिंचित फसले हो रही है और वादिनी की खातेदारी की काश्त भूमि चारों तरफ से तारबंदी से घेरी हुई है नलकूप पर स्टार्टर रूम व कच्चे अवासीय घर बना हुआ है, जबकि वादिनी की इसी भूमि की गलत एवं गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 का मौके पर कोई वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त नहीं हेते हुवे राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर खसरा नम्बर 1118/2 रकबा 37–10 बीघा की नक्शा में गलत तरमीम कायम कर दी। वादिनी के कब्जा काश्म की संचालित हो रहे नलकूप व आवास व चारों तरफ तारबंदी से घेर रखी भूमि की गलत तरमीम को वादिनी निरस्त करवाकर अभिलेख दुरूस्ती करवाने की जायज हकदार है जिसका यह वाद वादिनी पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसका खसरा नम्बर 1118 की काश्त भूमि के किसी भी हिस्से पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त नहीं होते हुवे भी राजस्व विधि एवं नियमों के विरूद्व मिलावट से गलत करवाई गयी खसरा नम्बर 1118/2 की तरमीम को वादिनी निरस्त करवाने की हकदार है प्रतिवादिनी संख्या 1 के नाम बिना कब्जा काश्त गलत कायम की गयी तरमीम के नक्शा की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पेश है। मूल खसरा नम्बर 1118 के मूल आवंटी के नाम खसरा नम्बर 1118/2 रकबा 37–10 बीघा भूमि की कोई तरमीम मूल आवंटी के कब्जा काश्त के अभाव में नहीं हुई प्रतिवादिनी संख्या 1 ने राजस्व

04/08/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कर्मचरियों से मिलावट कर मौके पर कब्जा काश्त की भौतिक स्थिति की जानकारी के बिना केवल मात्र खसरा नम्बर 1118 के पूर्व दिशा में कटाण रास्ता की वजह से गलत तरमीम करवाई है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अजनवी परिवारजन के साथ आकर वादिनी को दिनांक 05.08.2021 को धमकी दी कि तुम्हारे तारबंदी से घेरी हुई कृषि नलकूप व जमीन मेरी है कब्जा छोड़ दो अन्यथा तारबंदी तोड़ जबरन बलपूर्वक कब्जा करेगे। वादिनी खसरा नम्बर 1118/2 की गलत तरमीम को निरस्त करवाकर वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के माफिक अपने खातेदारी की कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 1118/1612 की तरमीम करवाने की हकदार है।

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू के खसरा नम्बर 1118/1612 रकबा 25–00 बीधा की तरमीम हो रखी है जो वादिनी के कब्जा व काश्त के विपरित है। इसलिये खसरा नम्बर 1118 व उसके सम्पूर्ण बट्टा नम्बर के खातेदारों को पक्षकार बनाकर उक्त तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादिनी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादिनी की कयशुदा खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1118/1612 रकबा 25–00 बीघा सरहद मौजा बारू तहसील बाप में स्थित है। वादिनी की कयशुदा कब्जा काश्त की भूमि पर कय करने की दिनांक से ही वास्तविक व भौतिक कब्जा चला आ रहा है व पिछले तीन वर्षो से कृषि नलकूप संचालित होने के बाद से निरन्तर सिंचित फसले हो रही है और वादिनी की खातेदारी की काश्त भूमि चारों तरफ से तारबंदी से घेरी हुई है नलकूप पर स्टार्टर रूम व कच्चे अवासीय घर बना हुआ है, जबकि वादिनी की इसी भूमि की गलत एवं गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 का मौके पर कोई वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त नहीं हेते हुवे राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर खसरा नम्बर 1118/2 रकबा 37–10 बीघा की नक्शा में गलत तरमीम कायम कर दी। वादिनी के कब्जा काश्म की संचालित हो रहे नलकूप व आवास व चारों तरफ तारबंदी से घेर रखी भूमि की गलत तरमीम को निरस्त कर अभिलेख दुरुस्ती करवाने के आदेश फरमावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 1118/1612 रकबा 25.00 बीघा भूमि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2070–73 अनुसार वादिनी के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के संलग्न लट्ठा नक्शा में वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की तरमीम अंकित है परन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित तरमीम पर वादिनी का कब्जा काश्त होने का कथन किया गया है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में कथन किया है कि खसरा

कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नम्बर 1118 व सम्पूर्ण बट्टा नम्बरों के खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट 09.01.2025 से स्पष्ट नहीं हो रहा कि नक्शा लट्ठा की तरमीम किस आदेश से की गयी थी इस संबंध में वादिनी ने भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु वादिनी ने वाद पत्र में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व खातेदार को आवंटित भूमि है। दूसरे वाद पत्र के संलग्न कोई आवंटन संबंधी दस्तावेज यथा नामान्तरकरण इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रतिवादी संख्या 2 के जवाब, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि से वादिनी का वाद साबित नहीं होता है। वाद वादिनी दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादिनी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण एवं भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/08/25

(सुखराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाप, जिला फलोदी (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. जतनकंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह पुत्री आसूसिंह जाति राजपूत निवासी आदर्श नगर फलोदी

—वादी

बनाम

1. मुबारकी पत्नी लुकमान पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अवाय हाल निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

मुकदमा संख्या :— 04/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर करणीसिंह राठौड़ मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वाद वादिनी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण एवं भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर	फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक	को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.08.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।